आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11 .09.2023

क्रमांक: एफ 1-5/2021/साठ :- राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय नवीन "मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022" दिनांक 18.08.2022 को लागू की गई है। उक्त नीति में कंडिका 3 के संदर्भ में "मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022" के खण्ड 3.4 एवं दिशानिर्देशिका के खण्ड 1.1.1 एवं 1.2.6 नवकरणीय ऊर्जा नीति में संशोधन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है, जिसका उपयोग करते हुए **"मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022"** दिनांक 18.08.2022 में प्रस्ताव को प्रतिस्थापित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Existing Description	Proposed amendment
RE hybrid power project: This shall include a RE Project having combination of more than one RE technologies co-acting/co-operating as one Project.	RE hybrid power project: This shall be RE project having combination of more than one RE technologies configured to operate at the same point of grid connection.

उपरोक्त नीति आधारित शक्तियों का प्रयोग कर उक्त दिशा-निर्देश नवीन **"मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022"** दिनांक 18.08.2022 से ही लागू माना जावेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

निरंतर.....2

पृ.क्र. : एफ 1-5/2021/साठ भोपाल, दिनांक 11.09.2023

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (RUMSL) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अपर आयुक्त, कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर सूचनार्थ।
5. गार्ड फाईल।

11/9/2023

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग